

**\*hNeed to designate such villages with tribal population exceeding 50% as Scheduled Areas**

श्री गोडम नागेश (आदिलाबाद) : सभापति महोदया, मैं तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र से आता हूं। हमारे तेलंगाना राज्य में जनजाति समुदाय के जो गांव हैं, उनको मैं संविधान की पांचवीं अनुसूची में समावेश करने के लिए मांग करता हूं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार संविधान की पांचवीं अनुसूची में उन गांवों को समावेश करना चाहिए। अभी वर्तमान में पांचवीं अनुसूची में जो गांव हैं, उनके बगल के गांव में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय आबादी है। इन गांवों को भी संविधान की पांचवीं अनुसूची में समावेश करने के लिए गाइडलाइंस कहता है। अभी मेरा राज्य तेलंगाना है, जो पहले आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना के आदिलाबाद में जनजाति समुदाय के जो गांव हैं, उनको संविधान की पांचवीं अनुसूची में समावेश करने के लिए केंद्र सरकार के पास राज्य की तरफ से सिफारिश आई है।

महोदया, यह सिफारिश 30 सालों से लंबित पड़ी है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो जनजातीय गांव हैं, उनको संविधान की पांचवीं अनुसूची में समावेश करने के लिए सरकार निर्णय ले, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद।